भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 170
01 अगस्त, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: पीएमकेएसवाई तथा आईडब्ल्यूएमपी की स्थिति

***170. श्री कृपाल बालाजी तुमाने:**
श्रीमती भावना गवली (पाटील):

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) और समेकित पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) की वर्तमान स्थिति क्या है और उक्त योजना तथा कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या समुचित कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या देश में, विशेषकर महाराष्ट्र के रामटेक-नागपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और अन्य पिछड़े क्षेत्रों में, पीएमकेएसवाई और आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र के रामटेक-नागपुर और वाशिम-यवतमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और अन्य पिछड़े क्षेत्रों का आज की तारीख के अनुसार तत्संबंधी स्थान और जिला-वार ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) आज की तारीख के अनुसार विगत आठ वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ आबंटित और उपयोग की गई केन्द्रीय निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त निधियों को समय पर आबंटित अथवा निर्मुक्त कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का उक्त योजना और कार्यक्रम के अंतर्गत राशि में वृद्धि करने का विचार है और यदि हां, तो इसे किस प्रकार बढ़ाए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“पीएमकेएसवाई तथा आईडब्ल्यूएमपी की स्थिति” के संबंध में लोक सभा में दिनांक 01.08.2023 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 170 के भाग (क) से (च) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ङ): सरकार ने वर्ष 2015-16 के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) शुरू की। पीएमकेएसवाई के घटक इस प्रकार हैं:

क. पीएमकेएसवाई के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और हर खेत को पानी (एचकेकेपी) घटकों को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

एआईबीपी 2016-17 के दौरान 99 चालू प्रमुख और मध्यम प्राथमिकता वाली सिंचाई परियोजनाओं को मिशन मोड में एचकेकेपी के तहत उनके कमांड एरिया विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यों को तेजी से पूरा करने पर ध्यान दे रहा है। इसके अलावा, 2021-22 के बाद 6 नई परियोजनाएं पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत शामिल की गई हैं। इन परियोजनाओं में से अब तक 53 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। जारी की गई केंद्रीय सहायता और पिछड़े क्षेत्रों सहित देश में एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम के अंतर्गत शामिल सिंचाई क्षमता/कृषि-योग्य कमांड क्षेत्र का ब्यौरा अनुबंध-I-क में दिया गया है।

इन 99 परियोजनाओं में से, 26 परियोजनाएं महाराष्ट्र राज्य में हैं जिनमें यवतमाल जिले को लाभ पहुंचाने वाली बेम्बला और अपर पेनगंगा परियोजनाएं और नागपुर जिले को लाभ पहुंचाने वाली गोसीखुर्द परियोजना शामिल है। वर्ष 2021-22 के दौरान शामिल की गई इन 26 परियोजनाओं और जिहे काठापुर परियोजना के तहत जारी की गई केंद्रीय सहायता और सृजित क्षमता का विवरण अनुबंध-I-ख में दिया गया है।

पीएमकेएसवाई के एचकेकेपी घटक के तहत सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) और जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनर्बहाली (आरआरआर) की योजनाएं भी डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। जल निकाय योजनाओं की एसएमआई और आरआरआर के तहत जारी केंद्रीय सहायता और अर्जित क्षमता का राज्य-वार विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएमकेएसवाई- हर खेत को पानी - भूजल सिंचाई (पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-जीडब्ल्यू) योजना का उद्देश्य किसानों की वर्षा जल पर निर्भरता को कम करने के लिए कुओं और ट्यूबवेलों के निर्माण के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को सुनिश्चित भूजल सिंचाई प्रदान करना है। पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-जीडब्ल्यू योजना के तहत उपलब्धियों, निर्मित सिंचाई कमांड, आदि का विवरण अनुबंध-III में दिया गया है।

ख. समेकित पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) को 2015-16 में पीएमकेएसवाई के घटकों में से एक के रूप में विलय करके इसे पनधारा विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) नाम दिया गया जिसे भूमि संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 के तहत, 28 राज्यों में 8214 पनधारा विकास परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की गई और 8894.46 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 की विस्तारित परियोजना अवधि 31.03.2022 को समाप्त हो गई। वर्ष 2014-15 से 2021-22 तक लगभग 7.64 लाख जल संचयन संरचनाओं का निर्माण/पुनरुद्धार किया गया है और लगभग 16.41 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को संरक्षित सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है।

डब्ल्यूडीसी को डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के रूप में 2021-22 से 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई थी और 28 राज्यों और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 50.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की पनधारा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अब तक, केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में 2288.34 करोड़ रुपये राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए हैं और लगभग 0.38 लाख जल संचयन संरचनाएं बनाई/ पुनरुद्धार की गई हैं, जिससे 0.44 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को संरक्षित सिंचाई के तहत लाया गया है। जारी की गई केंद्रीय सहायता, डब्ल्यूडीसी के तहत देश में हुई वास्तविक प्रगति का विवरण अनुबंध- IV-क में दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य में स्वीकृत परियोजनाओं की जिलेवार संख्या का विवरण अनुबंध IV-ख में दिया गया है। वाशिम-यवतमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 117.74 करोड़ की कुल लागत पर 18 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 13 पूरी हो चुकी हैं और 5 अभी कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके अलावा, डब्ल्यूडीसी के तहत रामटेक-नागपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में, 62.87 करोड़ की कुल लागत पर 13 परियोजनाएं स्वीकृत और पूरी की गई हैं।

इसके अतिरिक्त, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग वर्ष 2015-16 से महाराष्ट्र सहित देशभर में केंद्रीय प्रायोजित योजना नामतः प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) कार्यान्वित कर रहा है। वर्ष 2015-16 से 2021-22 के दौरान, पीडीएमसी को पीएमकेएसवाई के एक घटक के रूप में कार्यान्वित किया गया था। वर्ष 2022-23 से, यह योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही है। पीडीएमसी योजना सूक्ष्म सिंचाई अर्थात् ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। जारी की गई केंद्रीय सहायता और सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किए गए क्षेत्र का विवरण अनुबंध V–क में और महाराष्ट्र राज्य में सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किए गए क्षेत्र का जिलेवार विवरण अनुबंध V-ख में दिया गया है।

(च) भारत सरकार ने पीएमकेएसवाई को 2021-26 के दौरान जारी रखने की मंजूरी दे दी है, और पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के तहत भूजल घटक के विस्तार केवल प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए मंजूरी दी है। ।

वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के लिए पीएमकेएसवाई के विस्तार को 93,068.56 करोड़ रुपये के समग्र परिव्यय (37,454 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता, नाबार्ड को 20,434.56 करोड़ रुपये ऋण के लिए और राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाने वाला राज्य का हिस्सा 35,180 करोड़ रुपये) के साथ मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय सहायता के हिस्से का घटक-वार विवरण नीचे दिया गया है:

घटक	**कुल (रुपये करोड़ में)**
एआईबीपी और सीएडी एवं डब्ल्यूएम	23,918
एचकेकेपी (एसएमआई और आरआरआर)	4,580
एचकेकेपी (जीडब्ल्यू) केवल प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए	822
डब्ल्यूडी-पीएमकेएसवाई	8,134
सकल योग	**37,454**

लो.स.ता.प्र.सं. 170
अनुबंध-I- क

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी की स्थिति

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2016-17 **से** 2022-23
	पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)							
कुल (क) (99 एआईबीपी परियोजनाएं)	3307.87	3593.62	2849.08	1738.76	1510.04	754.64	300.93	14054.94
कुल (ख) (6 नई एआईबीपी परियोजनाएं)	–	–	–	–	–	59.20	125.10	184.30
सकल योग (क+ख)	3307.87	3593.62	2849.08	1738.76	1510.04	813.84	426.03	14239.24
	पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत निर्मित सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर में)।							
कुल (क) (99 एआईबीपी परियोजनाएं)	514.74	702.73	610.38	317.16	129.94	160.40	75.83	2511.18
कुल (ख) (6 नई एआईबीपी परियोजनाएं)	–	–	–	–	–	12.02	12.85	24.87
सकल योग (क+ख)	514.74	702.73	610.38	317.16	129.94	172.42	88.68	2536.05

99 प्राथमिकता प्राप्त एआईबीपी परियोजनाओं के लिए सीएडीडब्ल्यूएम घटक की वर्ष-वार स्थिति

जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये)							**खेती योग्य कमांड क्षेत्र की प्रगति (हजार हेक्टेयर में)**						
2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
853.90	933.13	593.51	164.01	203.10	107.98	99.07	498.51	439.70	405.66	74.54	78.01	145.38	143.93

अनुबंध-I-ख

महाराष्ट्र राज्य में पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत जारी की गई केंद्रीय सहायता और सृजित समताओं का विवरण

क्र.सं.	परियोजना	लाभान्वित जिले	जारी की गई केन्द्रीय सहायता (रुपये करोड़ में)							सृजित समताएं (हजार हेक्टेयर)							टिप्पणी
			2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	
1	बावनथाडी (आईएस)	भंडारा (वी)	16.84	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.63	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	पूर्ण
2	लोअर पंजरा	धुले	8.73	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	पूर्ण
3	डोंगरगांव	चंद्रपुर (वी)	1.17	2.55	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.65	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	पूर्ण
4	वरणा	कोल्हापुर, सांगली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	पूर्ण
5	नंदूरमध्मेश्वर चरण-II	औरंगाबाद (एम)	16.04	0.25	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	10.37	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	पूर्ण
6	अपर कुंडलिका	बीड (एम)	1.01	7.04	1.56	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.60	0.10	0.00	0.00	0.00	पूर्ण
7	लोअर दूधना	परभणी (एम), जालना (एम)	39.62	5.27	4.48	3.43	0.00	0.00	0.00	3.53	5.60	4.06	0.94	0.12	0.00	0.00	पूर्ण
8	खड़कपूर्णा	बुलढाणा (वी)	2.14	12.00	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33	0.00	3.05	3.20	0.00	0.00	0.00	पूर्ण
9	धोमबालाकवाड़ी	पुणे/सतारा	5.78	13.46	7.94	9.05	10.33	4.51	0.00	0.00	1.03	4.63	1.00	0.44	0.79	0.00	पूर्ण
10	तिलारी'	सिंधुदुर्ग	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.36	0.43	0.00	0.00	प्रगति 80%-90%
11	वाघुर	जलगांव	81.70	0.00	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	6.92	4.61	0.90	0.00	0.64	प्रगति 80%-90% 80%-90%
12	लोअर वर्धा	वर्धा (वि.)	102.47	0.00	38.94	30.83	30.83	0.00	0.00	17.00	0.00	1.68	5.37	4.01	2.99	4.88	प्रगति 80%-90% 80%-90%
13	बेम्बला	यवतमाल (वी)	24.18	54.48	42.90	40.96	56.87	65.83	0.00	0.00	0.43	2.76	0.54	1.26	2.09	3.46	प्रगति 80%-90% 80%-90%
14	तराली	सतारा	24.38	0.00	6.43	10.58	16.35	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	0.78	4.10	0.12	प्रगति < 80%
15	अर्जुन	रत्नागिरि	1.01	4.73	3.36	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	1.60	2.95	0.71	प्रगति 80%-90%
16	अरुणा	सिंधुदुर्ग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	प्रगति 80%-90%
17	कृष्णा कोयाना लिफ्ट	सोलापुर, सांगली	23.09	29.27	22.46	77.13	36.48	29.76	0.00	0.00	6.25	16.10	20.35	10.47	5.54	4.21	प्रगति < 80%
18	गडनदी	रत्नागिरि	0.10	0.63	0.81	0.00	0.00	1.95	0.00	0.07	0.00	0.00	0.52	0.50	1.93	1.07	प्रगति 80%-90%

19	सांगोला ब्रांच केनाल	सोलापुर,	1.31	2.45	5.10	5.23	4.14	8.17	4.73	1.72	0.00	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	प्रगति < 80%
20	मोरना (गुघर)	सतारा	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	प्रगति < 80%
21	लोअर पेढ़ी	अमरावती (वी), अकोला (वी)	4.18	6.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	प्रगति < 80%
22	वांग प्रोजेक्ट	सतारा	0.32	0.00	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	पूर्ण
23	नारदवे (महामदवाडी)	सिंधुदुर्ग	1.27	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.10	0.04	0.00	0.00	प्रगति < 80%
24	कुडाली	सतारा	0.00	1.13	0.00	1.74	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.03	0.00	0.00	0.00	प्रगति 80%-90%
25	अपर पेन गंगा	यवतमाल (वी), परभणी (एम), नांदेड़ (एम)	12.26	26.19	55.30	50.13	0.00	12.27	16.43	1.50	0.00	0.60	0.39	2.49	1.45	1.63	प्रगति > 90%
26	गोसीखुर्द (एनपी)	नागपुर (वी), भंडारा (वी), चंद्रपुर (वी)	0.00	166.59	195.81	50.34	135.24	146.55	101.57	10.35	15.00	14.55	23.82	10.21	21.30	13.91	प्रगति < 80%
उप-योग			379.86	363.02	527.54	291.68	301.85	279.07	122.73	66.51	31.49	74.10	66.22	33.24	43.14	30.63	
वर्ष 2021-22 में शामिल 1नई एआईबीपी परियोजना।																	
1	जिहे काठापुर परियोजना (महाराष्ट्र)	सतारा						6.48	32.54						7.90	0.00	

लो.स.ता.प्र.सं 170

अनुबंध-II

एसएमआई और आरआरआर योजनाओं के तहत दी गई केंद्रीय सहायता (सीए) और सृजित सिंचाई क्षमता (आईपी) का विवरण

करोड़ रुपये में और आईपीसी हजार हेक्टेयर में

योजना	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		फरवरी 2023 तक संचयी	
	जारी की गई केन्द्रीय सहायता	सृजित सिंचाई क्षमता	जारी की गई केन्द्रीय सहायता	सृजित सिंचाई क्षमता	जारी की गई केन्द्रीय सहायता	सृजित सिंचाई क्षमता	जारी की गई केन्द्रीय सहायता	सृजित सिंचाई क्षमता	जारी की गई केन्द्रीय सहायता	सृजित सिंचाई क्षमता	जारी की गई केन्द्रीय सहायता	सृजित सिंचाई क्षमता	जारी की गई केन्द्रीय सहायता	सृजित सिंचाई क्षमता	जारी की गई केन्द्रीय सहायता	सृजित सिंचाई क्षमता	जारी की गई केन्द्रीय सहायता	सृजित सिंचाई क्षमता
एसएमआई	601.92	111.31	148.00	106.14	665.35	39.37	725.20	44.77	768.11	37.95	657.65	21.67	739.58	8.38	312.54	4.25	8821.95	747.73
आरआरआर	161.18	36.24	0.00	30.34	79.65	11.60	24.80	16.96	64.79	5.25	35.79	19.49	26.05	4.74	58.54	15.39	554.28	154.31

लो.स.ता.प्र.सं 170
अनुबंध-III

पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-जीडब्ल्यू योजना के तहत राज्यों को जारी किए जाने वाले निधि का वर्ष-वार विवरण

रुपये करोड़ में

उत्पादन लागत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
997.59	221.07	80.0	399.26	69.88

पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-जीडब्ल्यू योजना की वर्ष-वार वास्तविक प्रगति का विवरण (31 मार्च 2023 तक)

निर्मित कुओं की संख्या						**सृजित कमांड (हेक्ट.)**					
लक्ष्य	19-20	20-21	21-22	22-23	**कुल**	**लक्ष्य**	19-20	20-21	21-22	22-23	**कुल**
30103	4257	16395	6030	4266	30948	88999	0	35439	22303	20222	77964

लो.स.ता.प्र.सं 170
अनुबंध-IV-क

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 और 2.0 के तहत जारी किए गए केंद्रीय हिस्से का वर्ष-वार विवरण

(रुपये करोड़ में)

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 के तहत जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा							डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा			
2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	**कुल**	2021-22	2022-23	2023-24 (**अबतक**)	**कुल**
1487.83	1471.72	1691.81	1780.55	1472.332	990.2209	8894.46	1165.17	987.27	135.89	2288.34

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत निर्मित/पुनर्बहाल डब्ल्यूएचएस और सिंचाई के तहत लाए गए अतिरिक्त क्षेत्र का विवरण

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई1.0 **के तहत वर्ष** 2014-15 **से** 2021-22 **के दौरान**		**डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई** 2.0 **के तहत वर्ष** 2022-23 **के दौरान**	
निर्मित/पुनर्बहाल डब्ल्यूएचएस (सं. में.)	सिंचाई के अंतर्गत लाया गया अतिरिक्त क्षेत्र (हेक्टेयर)	निर्मित/ पुनर्बहाल डब्ल्यूएचएस (सं. में.)	सिंचाई के अंतर्गत लाया गया अतिरिक्त क्षेत्र (हेक्टेयर)
764686	1640954.56	38061	44365.67

लो.स.ता.प्र.सं 170
अनुबंध-IV-ख

महाराष्ट्र में डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 और 2.0 परियोजनाओं का जिला-वार विवरण

क्र.सं.	जिला	डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0				डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0
		कुल स्वीकृत परियोजनाएँ [वर्ष 2009-10 से 2014-15]	राज्य को हास्तांतरि परियोजनाओं की संख्या	डीओएलआर द्वारा वित्त-पोषित परियोजनाएं	पूर्ण	स्वीकृत कुल परियोजनाएं [वर्ष 2021-22]
1	अहमदनगर	38	6	32	32	7
2	अकोला	19	5	14	14	6
3	अमरावती	36	7	29	29	3
4	औरंगाबाद	33	9	24	24	7
5	बीड	68	5	63	63	3
6	भंडारा	17	6	11	11	2
7	बुलढाना	42	2	40	40	6
8	चंद्रपुर	29	5	24	24	8
9	धुले	27	1	26	26	0
10	गडचिरोली	5	1	4	4	4
11	गोंदिया	20	7	13	13	5
12	हिंगोली	33	3	30	30	3
13	जलगांव	39	0	39	39	5
14	जलना	39	5	34	34	2
15	कोल्हापुर	48	7	41	41	0
16	लातूर	41	8	33	33	3
17	नागपुर	29	4	25	25	0
18	नांदेड़	57	7	50	50	4
19	नंदुरबार	24	5	19	19	4
20	नासिक	41	1	40	40	3
21	उस्मानाबाद	47	2	45	45	6
22	पालघर	0	0	0	0	8
23	परभनी	30	4	26	26	3
24	पुणे	39	9	30	30	1
25	रायगढ़	45	4	41	41	10
26	रत्नागिरि	51	3	48	48	9
27	सांगली	36	4	32	32	4
28	सतारा	78	9	69	69	0
29	सिंधुदुर्ग	26	5	21	21	9
30	सोलापुर	50	4	46	46	4
31	ठाणे	20	4	16	16	1
32	वर्धा	30	5	25	25	4
33	वाशिम	12	2	10	10	7
34	यवतमाल	37	13	24	24	3
	योग	1186	162	1024	1024	144

लो.स.ता.प्र.सं 170

अनुबंध-V-क

वर्ष 2015-16 से वर्ष 2022-23 तक प्रति बूंद अधिक फसल के अंतर्गत हुई प्रगति का विवरण

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	**योग**
सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र का कवरेज (हेक्टेयर)	572980	839961	1048934	1158519	1172572	937114	1015073	1102559	7847713
जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये)	1556.73	1991.24	2819.39	2918.38	2700.02	2562.19	1796.12	1901.37	18245.44

वर्ष 2023-24 **के दौरान**,**पीडीएमसी के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को** 2656.40 **करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।**

लो.स.ता.प्र.सं 170
अनुबंध-V-ख

वर्ष 2015-16 से वर्ष 2022-23 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में पीडीएमसी योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कवर किए गए क्षेत्र का जिला-वार विवरण

क्र.सं.	जिला	एमआई कवरेज क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	अहमदनगर	59272
2	अकोला	23227
3	अमरावती	44957
4	औरंगाबाद	45784
5	बीड	37069
6	भंडारा	1194
7	बुलढाना	95607
8	चंद्रपुर	9166
9	धुले	28862
10	गडचिरोली	502
11	गोंदिया	716
12	हिंगोली	20631
13	जलगांव	94975
14	जालना	51213
15	कोल्हापुर	8204
16	लातूर	27505
17	नागपुर	15138
18	नांदेड़	29404
19	नंदुरबार	16053
20	नासिक	59580
21	उस्मानाबाद	30348
22	परभनी	25442
23	पुणे	29532
24	रायगढ़	186
25	रत्नागिरि	616
26	सांगली	31233
27	सतारा	16195
28	सिंधुदुर्ग	425
29	सोलापुर	48579
30	ठाणे	316
31	वर्धा	20873
32	वाशिम	29303
33	यवतमाल	34738
34	पालघर	631
योग		937045

***